हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वर्ष, 2012 की तृतीय आपात बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 31 अगस्त, 2012 को 12–30 बजे अपरान्ह आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :–

1– शिक्षा निदेशक
2– प्रो0 ओ0पी0 चौहान
3– प्रो0 श्रीराम शर्मा
4– डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा
5– प्रो0 सुरेश कुमार
6– श्री सुरेश भारद्वाज
7– श्री एन0एस0 बिष्ट
8– डॉ0 के0पी0 ठाकुर
9– श्री सी0पी0 वर्मा –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

मद संख्या:1 : कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वर्ष 2012 की तृतीय आपात बैठक में, मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं ।

श्री बरयाम सिंह बैन्स जिन्होंने अपना कार्यकाल माननीय सदस्य कार्यकारिणी परिषद (गैर–शिक्षक कर्मचारी संवर्ग) के रूप में पूर्ण कर लिया है मैं उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं ।

मैं परिषद को सूचित करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के केन्द्रीय छात्र संघ चुनाव दिनांक 23–08–2012 को सफलतापूर्वक आयोजित किए गए । निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक चुनावों की व्यवस्था हेतु मैंने स्वयं शिमला स्थित विभिन्न महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया ।

मैं परिषद को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय परिसर में 66वां स्वतन्त्रता दिवस समारोह दिनांक 15 अगस्त, 2012 को सादगीपूर्वक मनाया गया । इस अवसर पर कारगिल के शहीद **अमोल कालिया** को स्मरणांजलि दी गई ।

मैं परिषद को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2012 से 29 अगस्त, 2012 तक सात विभागोां में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है ।

मैं परिषद को सूचित करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्नातक स्तर व ओ.टी.एम.आई.एल. की कक्षाओं के छात्रों को सितम्बर/अक्तूबर मास में आयोजित की जाने वाली अनुपूरक परीक्षा में कम्पार्टमैंट उतीर्ण करने हेतु तीसरा एवं अन्तिम अवसर प्रदान किया है ।

दिनांक 30–08–2012 को विश्वविद्यालय के व्यवसायिक अध्ययन (पर्यटन) संस्थान में मैंने शोधार्थियों एवं छात्रों को विशेष व्याख्यान दिया । इस अवसर पर संस्थान में सूचना प्रोद्यौगिकी प्रयोगशाला का भी लोकार्पण किया ।

अब मैं कुलसचिव से निवेदन करूंगा कि आज के प्रस्तावित मदों को परिषद के सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत करें ।

मद संख्या:2: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला व सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र में आचार्य एवं सहायक आचार्य की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 26–8–2012 से 29–8–2012 तक आयोजित चयन समिति की बैठकों की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे ।

.....

सर्वप्रथम सम्माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि वह परिषद को इस बात से अवगत करवाएं कि आपातकालीन बैठक किस लिए बुलाई गई है । अतः अध्यक्ष महोदय ने सम्माननीय सदस्यों को अवगत करवाया कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने 28–8–2012 को अपने आदेश सी.डब्ल्यू.पी.

संख्या–7010/2012–ए शीर्षक श्री बलदेव सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो कि विश्वविद्यालय में 30–8–2012 को प्राप्त हुआ **(संलग्नक–क)** को देखते हुए कार्यकारिणी परिषद की बैठक बुलाना उचित समझा गया क्योंकि इन आदेशों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका के साथ **संलग्नक–2** शुद्धिपत्र दिनांक 27–6–2012 को निरस्त कर दिया है तथा इस सम्बन्ध में 5 सितम्वर, 2012 तक हल्फनामा दायर करने को कहा गया है । इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी परिषद को यह सूचित किया जाता है कि शुद्धिपत्र जिसे कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा उसकी कार्यवाही के अन्तर्गत शुद्धिपत्र जारी किया गया था उस पर प्रश्नचिन्ह लग गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17–8–2012 का निर्णय जो कि सी.डब्ल्यू.पी. संख्याः6479/2012 शीर्षक श्री सुरेन्द्र शर्मा तथा अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में यह आदेश पारित किये गये हैं कि 19 सितम्बर, 2012 को 4–00 बजे अपरान्ह तक विश्वविद्यालय में 24 पद जिनकी छंटनी की जा चुकी है तथा शेष बचे हुए 27 पदों के बारे में कृत कार्यवाही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाए **(संलग्नक–ख)** । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 24 जुलाई, 2012 को प्रदान किए गए स्पष्टीकरण **(संलग्नक–ग)** को देखते हुए शुद्धिपत्र को निरस्त किया है ।

अव तक जिन 24 पदों के लिए छंटनी करवाई जा चुकी है इनमें से जिन 9 पदों के लिए चयन समिति की 26–29 अगस्त, 2012 को बैठकें करवाकर सिफारिशें की जा चुकी हैं वे सभी शुद्धिपत्र के अनुसार हैं । और जिन 27 पदों के लिए छंटनी का कार्य किया जा रहा है अब तक वह सब भी शुद्धिपत्र के अनुसार ही चल रहा है । अब स्थिति यह पैदा हो गई है कि इन हालातों में जब हमें 19 सितम्बर, 2012 को माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों अनुसार कृत कार्यवाही प्रस्तुत करनी है तथा शुद्विपत्र जिसके अनुसार छंटनी की गई है को निरस्त कर दिया गया है और अब हमारे पास समय भी बहुत कम रह गया है । सम्माननीय सदस्यों ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों का अध्ययन किया तथा यह विचार प्रकट किया गया कि शुद्धिपत्र के अनुसार की गई छंटनी के आधार पर नियुक्तियां नहीं की जा सकतीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2012 के स्पष्टीकरण के अनुसार अभ्यार्थी का नेट/सेट पास किया जाना आवश्यक है लेकिन केवल वह पी.एच.डी.

अभ्यार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम–2009 के पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है वही केवल छूट के अधिकारी हैं । स्पष्टीकरण में दिए गए पैरा–3. 3.1 तथा 3.3.2 को स्पष्ट रूप में देखा गया जो कि निम्नलिखित है :

3.3.1 NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities/Colleges/Institutions.

Provided however, that candidates, who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission(Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions.

3.3.2 NET/SLET/SET shall not be requirement for such Masters Degree Programmes disciplines for which NET/SLET/SET accredited test is not conducted.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 24–7–2012 को दिए गए स्पष्टीकरण में विनियम–2009 का उल्लेख किया गया है जिसका बैठक के दौरान अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि 2009 से पहले जो विनियम–2006 आया था उसके अनुसार एम.फिल. तथा पी.एच.डी. धारकों को छूट दी गई थी जो कि निम्नलिखित है :–

"NET shall remain compulsory requirement for appointment as Lecturer even for those with post graduate degree. However, the candidates having Ph.D. Degree in the concerned subject are exempted from NET for PG level and UG level teaching. The candidates having M.Phil. degree in the concerned subject are exempted from NET for UG level teaching only."

गहन विचार–विमर्श के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि माननीय उच्च न्यायालय को इन सभी तथ्यों से हल्फनामे के द्वारा अवगत करवाया जाये तथा उसके

पश्चात जो दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये ताकि माननीय उच्च न्यायालय के ओदशों की अवहेलना न हो ।

मद संख्या:3: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष जीवनवृत्ति उन्नति योजना के अन्तर्गत अध्यापकों की पदोन्नति हेतु चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने जीवनवृत्ति उन्नति योजना के अन्तर्गत अध्यापकों की पदोन्नति हेतु चयन समिति की सिफारिशें को लम्बित रखने का निर्णय लिया ।

यथा स्थान मदें :–

माननीय सदस्य प्रो0 ओ0पी0 चौहान ने अध्यापकों की पुनर्नियुक्ति हेतु गठित समिति की सिफारिशें को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया । जिस पर परिषद ने निर्णय को लम्बित रखा ।

बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(सी.पी. वर्मा)
सदस्य
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0/–

(आचार्य ए.डी.एन बाजपेयी)
कुलपति/सभापति